न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्रीमती सुनीता डागा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 52 / 2017 (अपील)

उनवान

सुशीला बाई धर्मपत्नी श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहपुर खुरम तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री गोविन्द सिंह चौहान (राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 25.04.2017
न्यायालय नायब तहसीलदार, सुल्तानपुर, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 31.01.2018

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एंव संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल तलब की गई।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किऐ एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किऐ बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस प्रोपर तामील हुऐ बिना ही एंव कब्जा होना स्वीकार होना मान लिया, जबकि अपीलाण्ट न तो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही हुआ और न कभी कब्जा होना ही स्वीकार किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत साक्ष्य नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम फतेहपुर खुरम स्थित आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.80 हैक्टयर भूमि पर केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान के आधार पर सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर से अपना कब्जा छोड दिया है, और तावान की राशि जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके

प्रमाणित फोटो प्रति
प्रभारी अधिकारी
जिला अभिलेखागार, कोटा

सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाते है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी द्वारा अपीलाण्ट अप्रार्थी के विरूद्ध वाके ग्राम फतेहपुर खुरम तहसील दीगोद, जिला कोटा की राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म **गै.मु.नदी** पर सम्वत् 2073 में पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने की प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया है। अपीलाण्ट अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना नोटिस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ तथा प्रस्तुत अपील बहस में भी ऐसा कोई कारण प्रदर्शित नहीं किया है जिससे कि यह माना जावे कि अपीलाण्ट अप्रार्थी की बाद सूचना नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थिति सद्भाविक रही हो। ऐसे में अपीलाण्ट अप्रार्थी का प्रस्तुत अपील बहस में यह कथन करना कि "अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किऐ एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किऐ बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस प्रोपर तामील हुऐ बिना ही एंव कब्जा होना स्वीकार होना मान लिया, जबकि अपीलाण्ट न तो अधीनस्थ न्यायालय में उपथित ही हुआ और न कभी कब्जा होना ही स्वीकार किया।" सम्यक प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल रिपोर्ट पटवारी अनुसार अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमित **गै.मु.नदी की भूमि रकबा 0.80 हैक्टयर (प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि) पर** पश्चातवर्ती अतिक्रमण के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर निर्णय अपील में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तदमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9, निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सुनीता डागा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

मुद्रा

प्रमाणित फोटो प्रति
प्रभारी अधिकारी
जिला कलेक्टरेट, कोटा